Hod for n.a. pl
[signature] 26/11/2021

F. No. 01/03/2021-CSB
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(CS-II Division)

JAO/ OC/ EST
26/11/2021

Indira Paryavaran Bhawan,
2nd Floor, Vayu Wing,
Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003

Dated 25th November, 2021

To,

The Director,
Botanical Survey of India,
Kolkata.

Subject:- Recruitmwnt rules to the post of Preservation Assistant cum Garden Overseer in BSI-reg.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the notification for Recruitment Rules to the post of Preservation Assistant-cum-Garden Overseer in Botaical Survey of India (BSI), MoEF&CC which have been published in the Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India as GSR No. 140 dated 18.08.2021 for information please.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Bimla Chauhan

(Bimla Chauhan)
Section Officer (CS-II)

D/BSI, please

			category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of the applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group – C Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) consisting of :- 1. Director or Head of the Department, Anthropological Survey of India, -Chairman 2. Under Secretary, Department of Culture, New Delhi -Member 3. Senior Administrative Officer or Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata Member.	Not applicable.

[F. No.6-7/2019-A&A]

A. N. MISHRA, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, उद्यान निरीक्षक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, परिरक्षण सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में परिरक्षण सहायक-सह-उद्यान निरीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, परिरक्षण सहायक-सह-उद्यान निरीक्षक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -** पदों की संख्या, उसके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबंद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **निरर्हता** – कोई वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर भर्ती हेतु पात्र नहीं होगा:

परंतु, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार के व्यक्ति पर लागू स्वीय विधि के तहत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचिन है; वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके उक्त नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रिय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबधं करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	**क्या चयन पद अथवा अचयन पद है**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिरक्षण सहायक-सह-उद्यान निरीक्षक	29*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	**साधारण केंद्रीय सेवा**, समूह 'ग', अराजपत्रित अनतुसचिवीय	25500-81100 रूपए के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4	अचयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ बागवानी में बी.एस.सी. **टिप्पण 1** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा में उन कारणों के लिए	आयु : नहीं; शैक्षिक अर्हताएं :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत (15 पद); और (ii) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत (14 पद)

जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा नियत करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : कार्यक्षेत्रीय सहायक (स्तर-2), ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है; वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।	**स्थायीकरण और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से युक्त होगी :-** i. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण - अध्यक्ष ii. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य iii. कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 01/03/2021-सीएसबी]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 18th August, 2021

G.S.R. 140.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Garden Overseer, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012 and the Ministry of Environment and Forest, Botanical Survey of India, Preservation Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Preservation Assistant-cum-Garden Overseer in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Preservation Assistant-cum-Garden Overseer, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay level in the pay matrix.— The number of posts, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..— The Method of recruitment to the said post, age-limit,

4. Disqualification.— No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Preservation Assistant-cum-Garden Overseer.	29* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service** Group 'C', non Gazetted, non Ministerial.	Level 4, in pay matrix Rs. 25500-81100.	Non selection.

Age limits for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 27 years (Relaxable for government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age	B.Sc with Botany/ Horticulture from a recognised University. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff selection Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.	Age: No; Educational Qualifications:- 10^{th} standard pass from a recognised Board.	Two years for direct recruits.	(i) Fifty per cent by promotion (15 posts); and (ii) fifty per cent by direct recruitment (14 posts).

advertised by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Field Assistant (Level-2) with 8 years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering confirmation and promotion, consisting of: —** (i) Director, Botanical Survey of India -Chairman (ii) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata -Member (iii) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member.	Not applicable.

[F. No. 01/03/2021-CSB]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुष मंत्रालय में उप-सलाहकार (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा), अनुसंधान अधिकारी (योग) और अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुष मंत्रालय (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।